संलग्नक-।।

(28 जून 2010 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.56)

<u>कंपाउंडिंग प्रक्रिया- निदर्शी परिचालनगत जाँच बिंदु</u>

फेमा, 1999 उल्लंघनों के कंपाउंडिंग करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है, जिसके अनुसार उल्लंघनकर्ता को उल्लंघन के लिए फेमा, 1999 की धारा 13 में यथा परिभाषित कंपाउंड किये जाने के लिए कंपाउंडिंग प्राधिकारी को आवेदन करने का अपने आप में एक अवसर प्रदान करता है ।

(i) विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) विनियमावली, 2000 के अनुसार जान बूझकर किए गए, कपटपूर्ण और छलपूर्ण उल्लंघनों का कंपाउंडिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) कंपाउंडिंग आवेदन विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) विनियमावली, 2000 में दिये गये "फॉर्म" में दर्शाये गये फॉर्मेट में, दो प्रतियों में सभी तरह से विधिवत् पूर्ण, ज्ञापन की प्रतिलिपि के साथ, जहाँ लागू हो, निर्धारित शुल्क तथा सभी समर्थनकारी दस्तावेजों के साथ कंपाउंडिंग प्राधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक (फेमा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कक्ष(सेफा)), विदेशी मुद्रा विभाग, 5 वीं मंज़िल, अमर बिल्डिंग, सर पी.एम.रोड, फोर्ट, मुंबई – 400001 को अथवा रिज़र्व बैंक के कार्यालय द्वारा जारी ज्ञापन पत्र में सूचित किये गये अनुसार किया जाना चाहिए।

(iii) आवेदन पत्र के शुल्क के संबंध में तथा कंपाउंड किये गये उल्लंघन की राशि के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में और जिस केंद्र पर आवेदन पत्र पर प्रक्रिया की जाएगी/की गयी तथा कंपाउंडिंग आदेश जारी किये गये थे उस केंद्र में देय माँग ड्राफ्ट होना चाहिए।

(iv) आवेदक ने कंपनी/संस्था के प्राधिकृत व्यक्ति, जो कंपाउंडिंग की संपूर्ण प्रकिया को देखेंगा, उसके संबंध में निम्नलिखित जानकारी दी जानी चाहिए :

- उल्लंघनकर्ता के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पदनाम
- प्राधिकृत व्यक्ति का टेलीफोन/फैक्स/ई-मेल
- फॉर्म के स्तंभ 6 में (मामले के संक्षिप्त तथ्य) उल्लंघनकर्ता के ब्योरे अर्थात् निगमित किये जाने की तारीख, स्वामित्व पैटर्न, गतिविधि, लेनदेन आदि उपलब्ध कराए जाए।

(v) उल्लंघनकर्ता/आवेदक को कंपाउंड किये जाने के लिए उल्लंघनों के ब्योरे स्तंभ-5[धारा 13 की उप धारा(1) के अनुसार] में अर्थात् फेमा के प्रावधान अथवा फेमा के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किये गये नियम, विनियम, निदेश अथवा आदेश अथवा शर्त जिसके अधीन रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकार जारी किये गये थे, स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करने चाहिए।

(vi) उल्लंघनकर्ता/आवेदक, आवेदन में लेनदेन, जिसके लिए उल्लंघन हुआ है, के ब्योरे/तथ्य (अर्थात् तारीख, राशि (भारतीय रूपयों में), शामिल पार्टीयाँ, आदि) भी विनिर्दिष्ट/वर्णित करेगा।

(vii) रिज़र्व बैंक द्वारा अपूर्ण पाये गये कंपाउंडिंग आवेदन पत्र अस्वीकृत किये जाएंगे और फेमा के उल्लंघन के लिए तदनुसार यथोचित् कार्रवाई की जाएगी।

(viii) उल्लंघनकर्ता/आवेदक, आवेदन पत्र के साथ सभी अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जिसके आधार पर कंपाउंडिंग प्राधिकारी द्वारा उल्लंघन की गंभीरता और स्वरूप निर्धारित की जाएगी और तदनुसार उल्लंघन के कंपाउंडिंग के लिए राशि निर्धारित
की जाएगी।

(ix) कंपाउंडिंग आवेदन पत्र पर प्रक्रिया करने के दौरान संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत न करना, विषय संबंधी तथ्य जान बूझकर छुपाये गये ऐसा समझा जाएगा तथा कंपाउंडिंग आवेदन पत्र अस्वीकृति तथा फेमा के तहत उल्लंघन के लिए यथोचित कार्रवाई के लिए दायी होगा।

(x) कंपाउंडिंग प्रक्रिया के तहत जारी किये गये पत्र तथा आदेश प्राधिकृत व्यक्ति को कंपाउंडिंग आवेदन पत्र में दिये गये पते/जानकारी पर प्रेषित करते हुए फैक्स/कुरियर/पंजीकृत डाक में से किसी एक पद्धति से दिये जाएंगे।

****